

6-9-22

पत्रावली प्रस्तुत / वकील / वकूला
पीठाधीन अतिथि का
पर है। मसलत का पूर्ण आदेशानुसार
दिनांक 22-12-22 को पेश हो।

22-12-22

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी / पत्नीवादी (आगे)
वकील वादी ने निवेदन किया कि पक्षकारों
के मध्य आपसी समझौता हो चुका है इसलिए
दावा आगे नहीं चलाया जाये है दावा खिन्ना
किया जाये। वकील वादी ने निवेदन पर
दावा खिन्ना करने की स्वीकृति दी जाती है।
पत्रावली जेलाल मुफ्त होकर नम्बर 6
रक है।

सहायक न्यायाधीश (सिविल डिवीजन)
दौलतपुरा (सीकर)

अदालत की मसलत

पत्रावली
दिनांक
22-12-22